

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी : जयदीप सिंह)

सत्र प्रकरण क्रमांक : 465/2014
संस्थित दिनांक : 03-12-2014

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैतूल,
जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

:: वि रु द्ध ::

1. सुरेश पिता मानिकराव धोटे, आयु 45 वर्ष,
निवासी-विनोबा वार्ड, भग्गूढाना, गंज, बैतूल
जिला बैतूल (म.प्र.)
2. रवि पिता रामकृष्ण कवड़कर, आयु 46 वर्ष,
निवासी-एल.एफ.एस.स्कूल के पास,
चंद्रशेखर वार्ड, बैतूल,
जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्तगण

उपस्थिति में :

राज्य द्वारा श्री गोवर्धन मालवीय, अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त सुरेश द्वारा श्री पंकज रघुवंशी अधिवक्ता।
अभियुक्त रवि द्वारा श्री मदन हीरे अधिवक्ता।

:: नि र्ण य ::

(आज दिनांक 15-02-2018 को खुले न्यायालय में घोषित)

अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05.07.2008 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा सिविल लाईन बैतूल जिला बैतूल में सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर छल करने के प्रयोजन से यह जानते हुए कि ग्राम मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल की खसरा नंबर 254/2 रकबा 5.207 हेक्टेयर की भूमि अभियुक्त सुखनंदन की नहीं है, उनके द्वारा उक्त कूट रचना किये जाने हेतु और बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु खसरा किश्तबंदी पर तहसीलदार की सील एवं हस्ताक्षर कर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गयी थी, जिससे मूल्यवान प्रतिभूतियाँ सम्पादित की जा सकती थी, से छल किया और बैंक से ऋण प्राप्त किया, यह जानते हुए कि सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी नकली थे तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्व

ारा जारी नहीं किया गया है, जो असल के रूप में प्रयोग करने के आशय से कूटरचना की, यह जानते हुए कि उक्त सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी कूटरचित है, छल करने के आशय से प्रयोग में लायी जायेगी, कूटरचना की, यह जानते हुए कि उक्त कूटरचित खसरा, किश्तबंदी एवं कृषिभूमि के दस्तावेजों को कपटपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, भारतीय स्टेट बैंक, बैतूल से ऋण प्राप्त करने हेतु उपयोग किया, जो क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 के अधीन दण्डनीय है।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन कथा यह है कि सुखंदन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाईन बैतूल में आकर स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नंबर 254/2 रकबा 5.207 हेक्टेयर मौजा मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर जिला बैतूल बताकर खसरा किश्तबंदी बैंक में बतौर प्रतिभूति दिनांक 05.07.2008 को जमा किये, जिनके सही होने का विश्वास कर बैंक द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर आरोपी को रु.1,36,000/- का ऋण प्रदान किया गया। आरोपी धुमसी द्वारा श्री सी.एस.सोनी अधिवक्ता से प्राप्त सर्च रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी, जिनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा ऐसी कोई सर्च रिपोर्ट नहीं दी और न ही हस्ताक्षर की। बैंक द्वारा अधिवक्ता श्री आकाश शुक्ला से सर्च कराई गयी तथा यह पाया गया कि आरोपी सुखनंदन खसरा नंबर 254/2 की रकबा 0.607 हेक्टेयर का भूमि स्वामी है तथा शेष भूमि का भूमि स्वामी नहीं है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित थे एवं उसके द्वारा दस्तावेजों की कूटरचना कर उन्हें असल दस्तावेजों के रूप में उपयोग में लाते हुए बैंक को आर्थिक नुकसान पहुँचाने की नियत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की है तथा उक्त दस्तावेजों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत कर अपराध किया है।

4. उक्त आशय का लेखी आवेदन प्र.पी-5 थाना कोतवाली बैतूल में प्रस्तुत किये जाने पर आरोपी सुखनंदन के विरुद्ध अपराध क्र. 964/2014 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बैंक से ऋण प्राप्त किये

जाने संबंधी दस्तावेज, भूमि के खसरा किश्तबंदी, नक्शा, सर्व रिपोर्ट, शपथपत्र आदि प्राप्त किये गए। साक्षियों के कथन लेख किये गए। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी सुखनंदन, रवि कवड़कर, सुरेश धोटे एवं बैंक के तत्कालीन अधिकारी डी.एन.शर्मा के द्वारा षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज खसरा, किश्तबंदी तैयार कर बैंक में प्रस्तुत कर सुखराम के नाम से ऋण प्राप्त कर आपस में बांट लिया गया। तत्पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध स्थापित होना पाये जाने पर अभियोग पत्र श्रीमती नोरिन निगम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चूंकि यह मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय था, इसलिये उपार्पित किया गया और माननीय सत्र न्यायाधीश, बैतूल द्वारा अंतरण पर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. आरोपी रवि एवं सुरेश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 का आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे आरोपीगण ने इंकार किया और विचारण चाहा। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में आरोपीगण का कहना है कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

6. द.प्र.सं. की धारा 317(2) के अंतर्गत सहअभियुक्त डी.एन.शर्मा एवं सुखनंदन के विरुद्ध पृथक विचारण हेतु आदेशित किया गया है।

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या अभियुक्त रवि एवं सुरेश ने दिनांक 05.07.2008 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा सिविल लाईन बैतूल जिला बैतूल में सहअभियुक्त के साथ षडयंत्र कर छल करने के प्रयोजन से यह जानते हुए कि ग्राम मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल की खसरा नंबर 254/2 रकबा 5.207 हेक्टेयर की भूमि अभियुक्त सुखनंदन की नहीं है, उक्त कूट रचना किये जाने हेतु और बैंक से

ऋण प्राप्त करने हेतु खसरा किश्तबंदी पर तहसीलदार की सील एवं हस्ताक्षर कर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गयी थी, जिससे मूल्यवान प्रतिभूतियों सम्पादित की जा सकती थी, से छल किया और बैंक से ऋण प्राप्त किया ?

- (2) क्या आरोपीगण ने सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर यह जानते हुए कि सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी नकली थे तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो असल के रूप में प्रयोग करने के आशय से कूटरचना की ?
- (3) क्या आरोपीगण ने सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर यह जानते हुए कि उक्त सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी कूटरचित है, छल करने के आशय से प्रयोग में लायी जायेगी, कूटरचना की ?
- (4) क्या आरोपीगण ने सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर यह जानते हुए कि उक्त कूटरचित खसरा, किश्तबंदी एवं कृषिभूमि के दस्तावेजों को कपटपूर्वक एवं बेईमानी पूर्वक यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, भारतीय स्टेट बैंक, बैतूल से ऋण प्राप्त करने हेतु उपयोग किया ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय बिन्दु क्र. 1 से 4 :-

8. साक्ष्य विवेचन की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उक्त विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। (अ.सा.1) दीनदयाल, (अ.सा.2) कन्हैया, (अ.सा.3) जयवंती उर्फ फूलवंती, (अ.सा.4) भारत, (अ.सा.6) रेवाराम, (अ.सा.7) सुनील जीतपुरे के द्वारा कथन किया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर उनसे सूचक प्रश्न पूछे गए हैं, किंतु उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कहानी को बल मिलता हो।

9. (अ.सा.5) दिलीप श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक ने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि सुखनंदन के द्वारा ऋण लेने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गए थे, जिसमें उसके द्वारा अपनी जमीन खसरा नंबर 254/2 रकबा 5.207 हेक्टेयर भूमि ग्राम मूसाखेड़ी में बतायी थी तथा आरोपी सुखनंदन द्वारा बैंक से रु.1,36,000/- का ऋण लिया था, किंतु आरोपी सुखनंदन द्वारा जमीन के कागजात, खसरा किश्तबंदी आदि ऋण प्रकरण में संलग्न किये गए थे, जिसमें दर्शायी गयी जमीन में से सुखनंदन के नाम से केवल 0.607 हेक्टेयर भूमि ही दर्ज पायी गयी और तब थाना कोतवाली में लिखित शिकायती आवेदन प्र.पी-5 प्रस्तुत कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी-6 पंजीबद्ध कराया और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि, जिसमें किसान क्रेडिट लोन प्र.पी-7, ऋण आवेदन फार्म प्र.पी-8, लोन स्वीकृति जानकारी प्र.पी-9, ऋण स्वीकृति मूल्यांकन आवेदन प्र.पी-10, स्वीकृति पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी-11, खसरा पंचसाला प्र.पी-13, नक्शा प्र.पी-14, किश्तबंदी प्र.पी-15 एवं आकाश शुक्ला की सर्च रिपोर्ट प्र.पी-16 प्रस्तुत की है। आरोपी सुखनंदन द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक में जमीन के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण से संबंधित जानकारी मांगी थी, जो प्र.पी-17 एवं 18 के अनुसार है। (अ.सा.5) दिलीप श्रीवास्तव ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि आरोपी सुरेश की भूमिका इस प्रकरण में है या नहीं वह नहीं बता सकता तथा इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज में आरोपी रवि के कोई हस्ताक्षर नहीं है और न ही कोई संबंध है।

10. (अ.सा.10) आकाश शुक्ला द्वारा न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वे 2008 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बैतूल में विधिक सलाहकार के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा आरोपी सुखनंदन के ग्राम मूसाखेड़ी में स्थित खसरा नंबर 254/2 की सर्च की गयी। सुखनंदन द्वारा बैंक के समक्ष खसरा नंबर 254/2 का रकबा 5.206 हेक्टेयर का स्वयं को भूमिस्वामी होना बताकर बैंक से ऋण लिया था, परंतु उनके द्वारा सर्च की गयी तब यह पाया कि सुखनंदन खसरा नंबर 254/2 का कभी भूमि स्वामी नहीं रहा है और इस तरह सुखनंदन ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की। उनके द्वारा दी गयी सर्च रिपोर्ट प्र.पी-16 है, जो बैंक के द्वारा

सत्यापित की गयी है।

11. (अ.सा.8) नेहा चंद्रवंशी उपनिरीक्षक द्वारा कथन किया है कि वह दिनांक 16.07.2014 को भारतीय स्टेट बैंक बैतूल के मुख्य प्रबंधक की ओर से प्र.पी-5 का आवेदन प्राप्त होने पर आरोपी सुखनंदन के विरुद्ध प्र.पी-6 का अपराध पंजीबद्ध किया था। (अ.सा.9) उपनिरीक्षक अशोक वरकड़े उपनिरीक्षक ने व्यक्त किया है कि दिनांक 16.07.2014 को थाना बैतूल में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेख कर किया था। प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि आरोपी सुरेश के संबंध में प्रकरण में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पूर्व में चंद्रशेखर सोनी द्वारा जो सर्च रिपोर्ट दी गयी थी, वह भी प्रकरण में भूमि की सत्यता के संबंध में संलग्न है और चंद्रशेखर सोनी द्वारा यह व्यक्त किया था कि उक्त रिपोर्ट उनके द्वारा नहीं दी गयी, किंतु उनके कथन लेख नहीं किये गए। यह कहना सही है कि आरोपी रवि से कोई भी सामग्री सम्पूर्ण अनुसंधान में जप्त नहीं की गयी।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन ने अभिलेख पर लोन से संबंधित दस्तावेज किसान क्रेडिट लोन प्र.पी-7, ऋण आवेदन फार्म प्र.पी-8, लोन स्वीकृति जानकारी प्र.पी-9, ऋण स्वीकृति मूल्यांकन आवेदन प्र.पी-10, स्वीकृति पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन प्र. पी-11, खसरा पंचसाला प्र.पी-13, नक्शा प्र.पी-14, किश्तबंदी प्र.पी-15 एवं आकाश शुक्ला की सर्च रिपोर्ट प्र.पी-16 प्रस्तुत किये हैं, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी सुखनंदन द्वारा फरियादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से रु. 1,36,000/- का ऋण लिया। ऋण लेते समय भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये और प्रथम सर्च रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होने के कारण लोन स्वीकृत हुआ। आरोपी सुखनंदन ने लोन प्राप्त किया और पुनः सर्च कराये जाने पर आरोपी सुखनंदन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त राजस्व दस्तावेज कूट रचित होना प्रमाणित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त खसरा दस्तावेज आरोपी सुखनंदन द्वारा ही बैंक में प्रस्तुत किये गए और आकाश शुक्ला द्वारा दी गयी सर्च रिपोर्ट प्र. पी-16 के अनुसार सुखनंदन खसरा नंबर 254/2 का कभी भूमि स्वामी नहीं रहा है और इस तरह सुखनंदन ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर

ऋण प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की।

13. उक्त स्थिति में जहाँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि आरोपी सुखनंदन द्वारा छलपूर्वक फर्जी दस्तावेजों को बैंक में प्रस्तुत कर अवैधानिक रूप से ऋण प्राप्त किया गया। किंतु, जहाँ तक आरोपी सुरेश एवं रवि का प्रश्न है, उनके आपराधिक दायित्व के संबंध में प्रकरण में विश्वसनीय साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। उक्त आरोपीगण के न तो किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर है और न ही कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर है।

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर अभियोजन आरोपी सुरेश एवं रवि के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप आरोपी सुरेश एवं रवि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

16. अभियुक्त सुरेश एवं रवि के जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त किये जाते हैं।

22. अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि अभियुक्तगण को दी गयी कारावासीय सजा में समायोजित किया जाये। द.प्र.सं. की धारा 428 के अंतर्गत निरोध अवधि की तालिका बनायी गयी जो निर्णय का अंग होगी।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देश पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(जयदीप सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

(जयदीप सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

बैतूल

दिनांक : 15/02/2018

